न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 42/2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

सरकार –बनाम– श्री महेन्द्र कुमार दास आदि

उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा भवानीपुर हरसिंह,
तहसील लालकुआं, जनपद नैनीताल।

आदेश

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल द्वारा निगरानी संख्या–8/26(2010–11) महेन्द्र कुमार दास आदि बनाम सरकार में पारित निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हल्द्वानी के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि अभिलेखों में वर्ष 1949 से पूर्व प्रार्थीगण के पिता बृजेन्द्र कुमार दास व जीवन लाल के नाम दर्ज अभिलेख चली आ रही थी परन्तु बन्दोबस्त वर्ष 1958–59 में बिना किसी आदेश से वादग्रस्त भूमि में वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल का नाम जोड़ा गया है जो कि वर्तमान में बृजेन्द्र कुमार दास पुत्र बृजभूषण दास एवं जीवनल लाल वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल के नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रतिउत्तरदातागण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर केशर शुगर मिल का नाम खारिज कर अपना नाम दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, हल्द्वानी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27–12–2010 से दुरस्ती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी योजित की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 से स्वीकार कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हल्द्वानी का निर्णयादेश दिनांक 27–12–2010 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि में से 489 बीघा सीलिंग के अन्तर्गत थी और उच्च न्यायालय से सीलिंग का आदेश बहाल रखा गया। राज्य सरकार ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा ले लिया और वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हुई। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली पर पेपर नम्बर–3/1 से 3/2 पर प्रतिउत्तरदाता के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट है कि यह दीर्घकालीन इन्द्राज था जिसे धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरस्त नहीं किया जा

सकता। जिल्द बन्दोबस्त खतौनी में दर्ज इन्द्राज को बिना किसी सुसंगत कानूनी आधार के दुरस्ती प्रार्थना पत्र द्वारा परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22–03–2012 के आदेशानुसार सीलिंग की अतिरिक्त भूमि घोषित की जा चुकी है और राज्य सरकार के अधिपत्य में आ चुकी है। खतौनी में वादग्रस्त भूमि मौरूसी कास्तकार के रूप में खातेदार जीवनलाल वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल का नाज दर्ज अभिलेख है। 1367 फसली में उक्त ग्राम के अन्तर्गत बन्दोबस्त प्रकिया पूर्ण हुई तथा बन्दोबस्त से पूर्व 1366 फसली के खाता संख्या–2 पर खाते में जीवनलाल व बृजेन्द्र कुमार वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल का नाम दर्ज अभिलेख है। चूँकि जिल्द बन्दोबस्त में भी वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल दर्ज है अतः प्रश्नगत इन्द्राज बन्दोबस्त प्रकिया के अन्तर्गत दर्ज होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत दुरस्त नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर उनके पिता बृजेन्द्र कुमार दास व प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 पन्ना जीवन लाल के पिता जीवन लाल 1356 फसली अर्थात वर्ष 1949 से पूर्व बतौर भूमिधर दर्ज कागजात थे व कास्त करते चले आ रहे थे परन्तु बन्दोबस्त के दौरान बिना किसी न्यायालय व सक्षम प्राधिकारी के माल कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से प्रतिउत्तरदातागण के पिता के साथ वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल बहेड़ी का नाम जोड़ दिया गया जो सरासर गलत है जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही दुरस्त किया जाना चहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा इस आशय का निष्कर्ष कि दीर्घ अवधि के इन्द्राज निरस्त नहीं किये जा सकते त्रुटिपूर्ण हैं। विधि में स्पष्ट व्यवस्था है कि फर्जी व कूटरचित इन्द्राज चाहे कितने भी पुराने क्यों न हों प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं और ऐसे इन्द्राजों को धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरस्त किये जा सकते हैं। तहसील रिपोर्ट एवं विचारण न्यायालय के निर्णय से यह सिद्व हुआ है कि केशर शुगर मिल का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के दर्ज हुआ है। प्रश्नगत भूमि पर आज भी प्रतिउत्तरदातागण काबिज कास्त कर रहे हैं और केशर शुगर मिल का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को स्वंय तहसीलदार व सहायक कलेक्टर द्वारा भी स्वीकार किया गया है। कई न्यायिक दृष्टान्तों में भी यह व्यवस्था दी गई है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत धारा–52 के विज्ञप्ति के पश्चात भी चकबन्दी कार्यवाही के दोरान फर्जी इन्द्राज को काटा जा सकता है। अपर आयुक्त के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

इस प्रकरण में प्रतिउत्तरदातागण ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी हल्द्वानी के समक्ष वादग्रस्त भूमि की दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार की आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार ने अपनी आख्या में वादग्रस्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज अंकित होने का उल्लेख किया परन्तु

जिल्द बन्दोबस्त में प्रतिउत्तरदातागण के पिता जीवन लाल एवं बृजेन्द्र कुमार के साथ वास्ते प्रतिनिधि केशर शुगर मिल का नाम दर्ज होने के कारण एवं बन्दोबस्त प्रकिया के अन्तर्गत नाम दर्ज होने के कारण धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरस्ती किया जाना उचित न होने का उल्लेख किया गया। जिसके आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27–12–2010 से प्रतिउत्तरदातागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 से स्वीकार की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश दिनांक 27–12–2010 का अवलोकन किया गया। इस निर्णयादेश के पृष्ठ–2 के अन्तिम पैरा में उनके द्वारा अभिलेखों में 1359 फसली में प्रतिउत्तरदातागण के पिता का नाम तन्हा दर्ज होने का उल्लेख किया है जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय में उपलब्ध खतौनी की प्रति एवं तहसीलदार की आख्या से भी होती है। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में खतौनी फसली 1366 में खातेदार जीवन लाल एवं बृजेन्द्र कुमार के स्थान पर जीवन लाल एवं बृजेन्द्र कुमार के साथ प्रतिनिधि केशर शुगर मिल का नाम दर्ज अभिलेख होने एवं इस इन्द्राज को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के दर्ज होने का भी उल्लेख किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अभिलेखों के आधार पर खातेदार जीवन लाल एवं बृजेन्द्र कुमार के इन्द्राज के साथ केशर शुगर मिल का इन्द्राज को त्रुटिवश दर्ज होना स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखों में जो इन्द्राज अंकित हुआ है वह बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंकित हुआ है। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के यदि भू–अभिलेखों में कोई इन्द्राज किया जाता है तो वह एक त्रुटि कही जायेगी और त्रुटिवश की गई प्रविष्टि को सही किया जाना विधितः उचित है। इस प्रकरण में भी अभिलेखों के अनुसार यह सिद्व नहीं हो पाया है कि तो प्रविष्टि की गई है वह सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इन्द्राज त्रुटिवश किया गया है और गलती से किये गये इन्द्राज को भू–अभिलेखों में कभी भी दुरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 में विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

दिनांकः 23 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।